



उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,  
मुख्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स

0522-4151200

फैक्स  
ई.मेल

0522-2629284  
upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग/एफ- 300/2024-25/83

दिनांक : 24 अप्रैल, 2024

शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक,  
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,  
समस्त शाखाएं,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:** व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत शाखाओं से वितरित फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणों के ग्राहकों को ईएमआई में परिवर्तन/ऋण अवधि में परिवर्तन/फ्लोटिंग ब्याज दर वाले ऋणी को फिक्स्ड ब्याज दर वाले ऋणों में स्विच ओवर की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रांक-DOR.MCS. REC. 32/01.01.003/2023-24, दिनांक-18.08.2023 के क्रम में मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रांक-बैंकिंग/एफ-300/2023-24/636, दिनांक-30 मार्च, 2024 के माध्यम से समान मासिक किस्तों (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर में बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ऋणी को ईएमआई/अवधि अथवा दोनों विकल्पों की सुविधा प्रदान करने एवं स्विच ओवर की सुविधा के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र के बिन्दु सं०-4 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

4. ऋण को ऋण अवधि से पूर्व पूर्णतः भुगतान करने पर फोर क्लोजर चार्जज रु० 500.00 + जीएसटी ऋणी से लिये जायेंगे तथा ऋणी से इस हेतु लिखित सहमति शाखा को प्राप्त करनी होगी।

अग्रेतर पूर्व निर्गत परिपत्र सं०-बैंकिंग/एफ-300/2023-24/636, दिनांक-30 मार्च, 2024 में जारी किये गये दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

(आर०के० कुलश्रेष्ठ)  
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
4. मै० मेगासाफ्ट को इस निर्देश के साथ कि वे सीबीएस सॉफ्टवेयर में उपरोक्त अंकित बिन्दु के अनुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें।
5. महाप्रबन्धक (आईटी०) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाइट पर संशोधित परिपत्र को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक